एक नजर में

कर्मचारियों के वेतनमान मामले में मुख्य सचिव तलब

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में गंभीरता दर्शाई है. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन को 14 मई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. दरअसल हाईकोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और 108 अन्य कर्मचारियों ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी. जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को आदेश पारित करते हुए कहा था यह मामला 27 जून 2015 से सरकार के समक्ष विचाराधीन है. अब चार सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा किया जाए. आदेश का पालन नहीं होने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई. गत 26 मार्च को हाईकोर्ट ने आदेश के पालन में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी.

भाजपा नेता से विवाद : दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी सस्पेंड, टीआई अटैच

झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया चक्काजाम

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के महू नाका चौराहे पर शुक्रवार दोपहर भाजपा नेता और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया. विवाद का कारण भाजपा नेता पर पुलिस कर्मी द्वारा हाथ उठाना बताया जा रहा है. इसके बाद भाजपा विधायक और नगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ महू नाका पर हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया. मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने टीआई को कार्यालय में अटैच और दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर भाजपा के विधानसभा-4 प्रभारी वीरेंद्र शेंडके बाइक से महू नाका से गुजर रहे थे. सिंगनल पार के दौरान पुलिसकर्मी ने शेंडके को रोका, लेकिन बाइक नहीं रुकी तो उन पर हाथ उठा दिया. वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का आरोप था कि वीरेंद्र शेंडके मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चला रहे थे. इसके बाद यातायात पुलिस और शेंडके के बीच विवाद बढ़ गया. शेंडके ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया. घटना के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. कार्यकर्ता सडक़ पर बैठ गए, जिससे लंबा जाम लग गया. कार्यकर्ता संबंधित महिला टीआई व पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.

हालात संभालने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया

मामला बढ़ता देख ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. अधिकारियों ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच की. बताया जा रहा है कि जांच में वीरेंद्र शेंडके मोबाइल पर बात करते हुए नजर नहीं आए. इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता महिला टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए. इस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई कर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों कॉन्स्टेबल शेखर और सूबेदार लक्ष्मी को निलंबित कर दिया. वहीं, ट्रैफिक टीआई राधा यादव को कार्यालय में अटैच कर दिया है.

शेंडके ने कहा- मुझे चांटा मारा गया

इस मामले में भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडके ने कहा कि मुझे रोकने के दौरान चांटा मारा गया. इसका यातायात पुलिस को अधिकार नहीं है. सीसीटीवी फुटेज में मैं मोबाइल पर बात करते हुए भी नहीं पाया गया. शहर में यातायात पुलिस द्वारा महू नाका चौराहे को अवैध वसूली का अड्डा बना रखा है. यातायात पुलिस की वसूली से आम जनता भी बहुत परेशान है.

मामले की जांच चल रही : टी आई

टीआई राधा यादव का इस मामले में कहना है कि विवाद की शुरुआत के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थीं. वह बैठक से लौटते समय सूचना मिलने पर वहां पहुंचीं. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

नईदिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पुष्प-गुच्छ भेंट कर सौजन्य मुलाकात की और समसामयिक विषयों पर चर्चा की.

श्रीमद्भागवत कथा में मथुरा गमन

ग्वालियर। लोढ़ी माता मन्दिर में पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई गयी।भागवत कथा के व्यास पीठ पर कथावाचक पंडित दिनेश शास्त्री दंदरौआ धाम वाले ने पंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में पांच अध्याय हैं। उनमें गाये जाने वाले पंच गीत, भागवत के पंच प्राण हैं।

हाईकोर्ट बार के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए अधिवक्ता अमित जैन

जबलपुर, 8 मई. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता डीके जैन का इस्तीफा कार्यकारिणी की बैठक में विचार के बाद मंजूर कर लिया गया।

इसी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता अमित जैन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब वे अध्यक्ष पद के समस्त कार्य संपादित करेंगे। सचिव परितोष त्रिवेदी व संयुक्त सचिव योगेश सोनी ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में 14 में से 10 सदस्य उपस्थित थे.

निवेदिता मप्र बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष

ग्वालियर, 8 मई. मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुहर के बाद हुई है जिसका पत्र जारी कर दिया गया है। निवेदिता ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से सूक्ष्म जीव विज्ञान में पी-एचडी एवं लॉ किया है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य में बालकों के लिए सर्वकल्याणकारी कार्य करने में सफल हो सकूं। इसके साथ ही मैं उन सभी वरिष्ठों और शुभचिंतकों के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हर समय में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया है. उल्लेखनीय है कि मूलत: ग्वालियर निवासी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉ मयंक चतुर्वेदी की पत्नी डॉ. निवेदिता शर्मा पहले से ही आयोग की सदस्य थीं और विभिन्न जिलों में बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच कर चुकी हैं.

आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह और संबंधित अपराधों पर निगरानी रखता है। वर्ष 2022 में पूर्व में मप्र बाल आयोग की सदस्य बनाए जाने के बाद डॉ. निवेदिता शर्मा ने प्रदेश भर में सक्रिय रहते हुए बालकों के हित में अनेक कार्य किए, वहीं जहां बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, उन मामलों को उजागर करते हुए सरकार से उन्हें ठीक कराने की दिशा में कार्य किया था।

नौगांव पुलिस चौकी में आरक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

नौगांव (छतरपुर), 8 मई. छतरपुर जिले के नौगांव थाने में पदस्थ आरक्षक तरुण गंधर्व ने बस स्टैंड स्थित पुरानी चौकी के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही नवागत पुलिस अधीक्षक (एसपी) रजत सकलेचा, एसडीओपी अमित मिश्रा, थाना प्रभारी संजय राय सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरक्षक तरुण ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह फिलहाल एक पहेली बना हुआ है. पुलिस प्रशासन मामले की हर पहलू से जांच कर रहा है. क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक तनाव था, कार्य का दबाव था या कोई अन्य व्यक्तिगत कारण, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

1 लाख नहीं देने पर वीडियो वायरल

ग्वालियर, 8 मई. तानसेन नगर निवासी एक छात्रा ने सायबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है. एक मनचले ने पहले छात्रा से दोस्ती कर फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसके निजी वीडियो शूट कर लिये. जब छात्रा ने बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

बॉयफ्रेंड ने छात्रा से एक लाख रूपये की डिमांग की और मांग पूरी नहीं होने पर वीडियो उसके रिश्तेदरों को वायरल कर दिये. जब छात्रा के अंकल ने वीडियो देखे तो उसके पिता का बताया. इसके बाद छात्रा ने आपबीती सुनाई. छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आज शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई. छात्रा के अनुसार आरोपी उसे अक्टूबर 2025 से लगातार परेशान कर रहा था. लगभग 3 दिन पहले उसने रिश्तेदारों को वीडियो भेजे थे.

प्रायवेट यूनिवर्सिटी के सेमिनार में हुई थी दोस्ती

18 वर्षीय पीड़िता 11वीं की छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात वर्ष 2024 में महाराजपुरा स्थित एक प्रायवेट यूनीवर्सिटी में आयोजित सेमिनार के दौरान हरमन चावला से हुई थी. दोस्ती के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और हरमन ने उसे स्नैपचेट पर जोड़ लिया. पहले सामान्य बातचीत होती थी फिर उसने अपने प्यार का इजहार किया. हरमन ने छात्रा को प्यार के झांसे में लिया और धोखे से उसके न्यूड फोटो और वीडियो बना लिए. वीडियो हाथ लगते ही आरोपी के तेवर बदल गए. उसने छात्रा को धमकाना शुरू किया और वीडियो डिलीट करने के बदले एक लाख रुपए मांगे. छात्रा ने जब रुपए देने से इनकार किया और आरोपी से बातचीत बंद कर दी, तो वह हैवानियत पर उतारू हो गया. आरोपी ने छात्रा के निजी वीडियो उसके परिचितों और नाते-रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर भेज दिए. इस शर्मनाक हरकत का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के पिता के एक दोस्त ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बेटी के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई.

बरगी बांध क्रूज हादसा : हाईकोर्ट में दूसरी जनहित याचिका भी दायर

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में बरगी बांध क्रूज हादसे को लेकर शुक्रवार को एक और जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल, पूर्व में जिला अदालत ने स्वत संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे।इसके बाद राजधानी भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार राठी ने हाईकोर्ट में इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। अब जबलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा तिवारी ने याचिका दायर की है। इस मामले में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन व मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मामले में दोषी बताते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन करने की मांग की गई है. याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.

शादी में चली गोलियां, दूल्हा-दुल्हन बने शूटर कपल

ग्वालियर, 8 मई.भितरवार की ब्रज वाटिका में खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई. चंबल संभाग में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. ग्वालियर जिले के भितरवार से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां शादी के मंच को ही फायरिंग रेंज बना दिया गया.

वायरल वीडियो में दूल्हा और दुल्हन दोनों हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर सैकड़ों लोगों के बीच खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई. मामला भितरवार की ब्रज वाटिका का है, जहां आयोजित शादी समारोह में ये खतरनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई.

अनियंत्रित होकर खाई में पलटी बस

कई यात्री गंभीर रूप से घायल

दमोह, 08 मई.जिले के नोहटा थाना अंतर्गत धुनगी नाला के समीप शुक्रवार दोपहर यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई.जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोग घायलों की मदद करने पहुंचे. हादसे में करीब 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को इलाज के लिए 108 नं. 1310 ईएमटी अरविंद चमन, पायलट राममूर्ति मिश्रा व जननी की मदद से जिला अस्पताल लाया गया.जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा सभी घायलों का इलाज किया गया.घायल के परिजनों का आरोप है कि बस का चालक शराब के नशे में था इसी के चलते बस पलटी है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नोहटा थाना प्रभारी अभिषेक पटेल, आरक्षक कामता, दीपक ठाकुर और भी पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकलवाने में तत्परता दिखाई. नोहटा पुलिस ने चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के समय बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे.जिसमें से गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जानकारी देते हुए लरगंवा गांव निवासी मनोहर आदिवासी ने बताया कि वह सिंगपुर से लरगुवां जा रहे थे.रास्ते में बस अनियंत्रित होकर पलट गई.जिसमें उनकी पत्नी भारती भी घायल हुई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बस का ड्राइवर शराब के नशे में था और वह बार-बार नीचे की ओर देख रहा था. तभी बस अनियंत्रित होकर पलट गई.दूसरी घायल महिला सीमा आदिवासी ने बताया कि वह पिपरिया गांव की रहने वाली हैं और बनवार जा रही थी. जैसे ही वह बस में बैठी 10 कदम चलते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई और वह घायल हो गई.यह यात्री बस प्रतिदिन भजिया से बांदकपुर की ओर जाती है. बताया जा रहा है कि यात्री बस काफी कंडम हालत में है इसके बावजूद भी वह सड़कों पर दौड़ रही थी. सिमरी गांव निवासी देशरानी सेन भी गंभीर रूप से घायल हुई है. उन्होंने बताया कि वह रौंड जा रही थी, लेकिन रास्ते में बस पलटने से वह घायल हो गई. सभी घायलों को दो 108 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया. इधर ड्यूटी रत डॉक्टर आशुतोष पटेल,डॉक्टर एश्वर्य प्रताप राजपूत,जावेद खान के द्वारा इलाज किया गया.

दिल्ली फिर हारी, फिन एलन ने मचाया धमाल

नई दिल्ली, 8 मई. अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी की कसी हुई गेंदबाजी के बाद फिन एलन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हरा दिया. अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर सिर्फ 142 रन ही बना सकी. जवाब में कोलकाता ने 14.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ केकेआर ने टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज की, जबकि दिल्ली को अपने घरेलू मैदान पर लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा.

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने शुरुआती ओवरों में ही विकेट गंवा दिए और रन गति पर दबाव बढ़ गया. हालांकि पथुम निसांका ने एक छोर संभाले रखा और जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा. उन्होंने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला. मध्यक्रम पूरी तरह संघर्ष करता नजर आया.

कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. अनुकूल रॉय ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से रन बनाने के मौके नहीं दिए, जबकि कार्तिक त्यागी ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर दिल्ली की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. दोनों गेंदबाजों ने दो-दो विकेट हासिल किए. अंतिम ओवरों में दिल्ली तेजी से रन नहीं बना सकी और टीम 142 रन तक ही पहुंच पाई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत आक्रामक रही. फिन एलन ने आते ही दिल्ली के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. एलन ने शानदार शतक जड़ते हुए मैच को एकतरफा बना दिया. उनकी पारी में चौकों और छक्कों की भरमार देखने को मिली. दिल्ली के गेंदबाज विकेट लेने के लिए संघर्ष करते रहे.लेकिन एलन ने किसी भी गेंदबाज को वापसी का मौका नहीं दिया.हालांकि कोलकाता ने दो विकेट गंवाए, लेकिन जीत कभी मुश्किल नजर नहीं आई. एलन अंत तक नाबाद रहे ।

नीमच मंडी टैक्स वसूली में नीमच मंडी अव्वल

नीमच. मंडी बोर्ड भोपाल के मार्गदर्शन में उज्जैन संभाग इकाई द्वारा नीमच मंडी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. उपलब्धि-मंडी टैक्स वसूली में नीमच मंडी ने प्रदेश स्तर पर द्वितीय और संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीमच मंडी के कर्मचारियों, हम्मालों, तुलावटी, व्यापारियों और किसान प्रतिनिधियों को शील्ड व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. फोटो में अधिकारी ट्रॉफी देते हुए दिख रहे हैं. संभागीय सलाहकार अतुल पड़ियां ने कहा कि सभी वर्गों के तालमेल से ही यह सफलता मिली है.

कलेक्टर ने 12 कर्मचारियों को थमाए कारण बताओ नोटिस

शिवपुरी, 8मई. जिले में जनगणना 2027 के कार्य को लेकर प्रशासन सतर्क मोड में दिखाई दे रहा है. राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अर्पित वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए 12 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में बेचैनी फेल गई है.

तहसीलदार और नगर पालिका अधिकारियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संबंधित कर्मचारियों ने जनगणना सामग्री लेने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं, सूचना दिए जाने के बावजूद कई कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए. प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल नोटिस जारी किए हैं. जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है उनमें रितु मिश्रा, देवेन्द्र शर्मा, मनोरमा धाकड़, किशोर कुमार भगत, सुरेन्द्र कुमार तिवारी, मधुमती कुशमी, देवेन्द्र राठौर, राहुल देव राजौरिया, नवल किशोर भार्गव, बलवीर सिंह जादौन, वीरेन्द्र राजे और प्रवीण दुबे शामिल हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा है कि जनगणना जैसा राष्ट्रीय दायित्व किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होना चाहिए.

अवलोकन महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेगा

समय सीमा में कार्यों को कराने के शुक्ल ने दिए निर्देश

भोपाल 8 मई. लक्ष्मणबाग परिसर से लगी भूमि में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्माण स्थल पहुंचकर कार्य का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिए.

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा 45.79 करोड़ रूपये की लागत से बनाए जा रहे विश्वविद्यालय भवन के प्रशासनिक ब्लाक में सेमिनार हाल के साथ ही आफिस, एकाउण्ट सेक्शन, प्लेसमेंट सेक्शन तथा रिकार्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा. इसी प्रकार अकादमिक ब्लाक में 12 अध्ययन कक्ष, 4 प्रोफेसर कक्ष तथा एक कम्प्यूटर लैब का निर्माण किया जाएगा. साथ ही 50 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है.

विश्वविद्यालय में बालक छात्रावास का निर्माण भी कराया जाएगा. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निरीक्षण के दौरान कार्ययोजना का निरीक्षण करते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ निश्चित समय सीमा में कार्यों को कराने के निर्देश दिए. इस अवसर पर विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पंचूलाल प्रजापति, उप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि राजेश पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

तथ्य छिपाकर राहत लेने के मामले में कोर्ट सख्त, वकील पर पचास हजार का जुर्माना

मप्र हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर राहत लेने वाले अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है. उन पर आरोप है कि जिस मामले में मुख्यपीठ जबलपुर की बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी, उसकी जानकारी होने के बावजूद समान मामले में इंदौर बेंच से अंतरिम राहत ले ली. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वह कॉस्ट की राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव को भुगतान करें।दरअसल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनवाई चल रही थी. मामले पर अधिवक्ता चौहान वीसी के जरिए उपस्थित हुए. इसी मामले में संलग्न अन्य याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि जबलपुर बेंच ने 6 अप्रैल को समान मुद्दे पर दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं. अधिवक्ता चौहान ने यह तथ्य छिपाते हुए समान मुद्दे के प्रकरण में इंदौर बेंच से 27 अप्रैल को अंतरिम राहत ले ली. अधिवक्ता चौहान ने दलील दी कि जो याचिकाएं निरस्त हुई हैं, वे उसमें पैरोकार नहीं थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तथ्य छिपाया है. न्यायालय ने कहा कि इसी मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं में अधिवक्ता चौहान ऑनलाइन पैरवी कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे उक्त तथ्य से अवगत नहीं थे. इसके अलावा इस केस में वे बिना वकालतनामा उपस्थित हुए हैं.